चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 30.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी, परेड निरीक्षण के दौरान अधि0/कर्मचारीगण का टर्न आउट चेक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों, 112 पीआरवी वाहनों तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को मरम्मत हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,आरक्षी बैरिक,आरटीसी बैरिक, सीपीसी कैंटीन,मंदिर,भोजनालय, नव निर्मित भवनों,आर्मरी का निरीक्षण किया तथा साफ सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। क्वार्टर गार्द का निरीक्षण कर सलामी ली गयी साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेश-कक्ष में जाकर पुलिस कर्मियों का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक श्री अरविंद कुमार वर्मा,प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 172/2011 धारा 279,337,338,304ए,427 भादवि0 के अभियुक्त शाहित अली पुत्र कल्लू अली निवासी मुरका थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 5000/- रुपयेके अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशीकान्त राय एवं उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये कुल 06 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 02 लाख 05 हजार 699 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध में पीडित 06 व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के नाम पर कुल 02 लाख 05 हजार 699 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री निशीकान्त राय, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 06 पीडितों के कुल 02 लाख 05 हजार 699 रुपये बरामद कराया गया।

साइबर धोखाधड़ी से बचने हेतु आम जनमानस को प्रमुख बिन्दु बताये गये- 1.किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण व एटीएम कार्ड नम्बर व पिन नम्बर सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर,एस0एम0एस0 न बताये। 2.एटीएम हमेशा अकेले प्रयोग करने किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3.अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन,ई-मेल,एस0एम0एस0 फेसबुक,व्हाट्सएप पर कभी न दें। 4.आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,नयी

सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5.बोनस प्वाइंट,रिवार्ड प्वाइंट,कैशबैक,के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6.किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर,ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने,क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आयें। 8. फेसबुक,इस्टाग्राम,ब्लॉग,ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइटस पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता,फोन नम्बर,जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार,किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियों देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें। 10.साइबर अपराध की घटना होने पर टोल फ्री नं0 1930 पर तुरन्त कॉल करें। इसके पश्चात नजदीकी पुलिस स्टेशन और www.cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट करने हेतु बताया गया।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आज दिनांक 30.05.2025 पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2016 धारा 174ए भादवि0 के आरोपी अभियुक्त छोटू उर्फ छुटुवा कोल पुत्र चन्द्रभान कोल उम्र 28 वर्ष निवासी निही थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.11.2016 को वादी उ0नि0 राजेश दुबे थाना मानिकपुर द्वारा सूचना दिया गया कि मु0अ0सं0 50/16 के वांछित अभियुक्त 1.बबुली कोल 2.लवलेश कोल 3.छोटू उर्फ छुटुवा 4.सोना उर्फ सोनवा 5.चुनकावन कोल 6. फूचन्द्र फरार चल रहे है। सभी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के सभी प्रयास किये गये परन्तु अभियुक्त गिरफ्तार नही हुए। मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 21.07.2016 को एन0बी0डब्ल्यू0 जारी किया गया फिर भी अभियुक्तगण मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुए। अभियुक्तों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया गया है। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 231/2016 धारा 174ए बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना उ0नि0 श्री जयनारायण सिंह द्वारा सम्पादित कर आरोप पत्र 24.12.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में भोली-भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडागर्दी करने वाले 08 अभियुक्तों के विरूद्ध 03 यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(i). थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री पंकज तिवारी द्वारा अभियुक्त रामानन्द पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी सढ़ का पुरवा मजरा धौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(ii). उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना प्रभारी रैपुरा द्वारा अभियुक्त देवराज उर्फ बड़कू शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला निवासी लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(iii). प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी द्वारा अभियुक्त देवकुमार यादव पुत्र रामसजीवन यादव निवासी चुनकावन का पुरवा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(iv). प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्याम प्रताप पटेल द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र प्रजापति पुत्र रामदेव प्रजापति निवासी इटवा डुडैला छोटीपाटिन थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(v). थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह द्वारा अभियुक्त प्रशान्त चौबे पुत्र मुन्ना चौबे उर्फ विष्णुकान्त निवासी देविन टोला कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(vi). थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह द्वारा अभियुक्त 1.नीरज उर्फ पप्पी पुत्र स्व0 मेडवा 2.शिवबालक सिंह उर्फ बबुलिया पुत्र शिवपूजन निवासीगण ममसी बुजुर्ग जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(vii). उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार सिंह प्रभारी भरतकूप द्वारा अभियुक्त लवलेश पाण्डेय पुत्र केवल प्रसाद निवासी बरहाई मजरा दुगवां थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 3 यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों को क्रमशः 10 लीटर कच्ची शराब व 25-25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सीतापुर मय हमराह आरक्षी अनुज यादव व आरक्षी रविन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त दुर्गेश पुत्र हरिकेश सोनकर निवासी सेमरदहा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). उ0नि0 श्री रामअधार सिंह चौकी प्रभारी सरैया मय हमराह मुख्य आरक्षी संदीप देव द्वारा अभियुक्त शिवबालक सिंह पुत्र स्व0 द्वारिका सिंह निवासी कटहापुरवा गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को एक झोले में 25 अदद पाउच देशी शराब ठेका मस्तीहू ब्राण्ड नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). उ0नि0 श्री अमरेश तिवारी थाना बरगढ़ मय हमराह आरक्षी शिवम राजपूत द्वारा अभियुक्त श्रीनाथ कोल पुत्र श्यामनाथ कोल निवासी ग्राम लसई मजरा खोहर थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को एक झोले में 25 अदद क्वार्टर ट्रेटा पैक मस्तीहू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रेस नोट-चित्रकूट

थाना मारकुण्डी पुलिस ने 01 अभियुक्त को एक बोरी में 20 किलो 75 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र

उपाध्याय व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रिषभ सिंह पुत्र गिरजेश कुमार निवासी रमपुरवा थाना धाता जनपद फतेहपुर को एक बोरी में 20 किलो 75 ग्राम सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मारकुण्डी पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

20 किलो 75 ग्राम सूखा गांजा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र उपाध्याय थाना मारकुण्डी

2.उ0नि0 श्री कैलाश यादव

3.आरक्षी अतुल परिहार

4.आरक्षी लालू यादव